

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchcharat Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 16th October, 2025

NOTIFICATION

No. 9-8/2024-U.3(A)- Whereas, an online application was submitted by Sahaj Marg Spirituality Foundation, Chennai for grant of Institution Deemed to be University status under distinct category to Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), 13-110, Kanha Shanti Vanam, Chegur, Nandigama Mandal, Ranga Reddy District, Telangana under Section 3 of the UGC Act, L956.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter no. 41-2/2024(CPP-I/DU) dated 23.10.2024, informed that the application was examined with the help of its Expert committee in accordance with UGC (institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee recommended for issuance of letter of Intent (LoI) to sponsoring body with certain conditions. The Commission considered and approved the recommendation of UGC Expert Committee in its 584th meeting (item No.2.09) held on 03.10.2024.

3. **And further whereas**, the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) to the Sahaj Marg Spirituality Foundation, Chennai for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years. Further, Sahaj Marg Spirituality Foundation, Chennai, vide letter dated 22.05.2025, submitted compliance report of the conditions of Letter of Intent (LoI). The compliance report was verified and accepted by the UGC Expert Committee. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 592nd meeting (item No. 2.17) held on 23.07.2025.

4. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Kanha Shanti Vanam, Chegur, Nandigama Mandal, Ranga Reddy District, Telangana as an Institution deemed to be University under distinct category. This approval is further subject to the following conditions:

- i. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall follow the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iv. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

प्रतिब

- v. The academic programmes to be offered at Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vi. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall align its course with National Education Policy-2020.
- vii. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana.
- ix. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall submit its MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- x. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xi. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xii. Heartfulness Academy of Research and Innovation (HARI), Telangana shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

पुनरुदु कलशु डुनु

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Director, Sahaj Marg Spirituality Foundation, Chennai.

3. The Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Telangana.
4. The Secretary, Council of Architecture, India Habitat Centre, Core 6A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003.
5. The Secretary, Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi 110001.
6. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
9. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
10. Guard file / Notification file.



(Jyoti Ranjan)

Under Secretary to the Government of India

Tel: +91 11 2338 1578

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 16 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना

संख्या 9-8/2024-यू.3(ए)- जबकि, सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन, चेन्नई द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआइ), 13-110, कान्हा शांति वनम, चेगुर, नंदीगामा मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. **और जबकि,** यूजीसी ने दिनांक 23.10.2024 के अपने पत्र संख्या 41-2/2024 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार, अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवेदन की जाँच की गई। समिति ने कुछ शर्तों के साथ प्रायोजक निकाय को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। आयोग ने दिनांक 03.10.2024 को हुई अपनी 584वीं बैठक (मद संख्या 2.09) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

3. **और आगे, जबकि,** शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन, चेन्नई को तीन वर्षों की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था। इसके अतिरिक्त, सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन, चेन्नई ने दिनांक 22.05.2025 के पत्र द्वारा आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया और उसे स्वीकार किया गया। आयोग ने दिनांक 23.07.2025 को हुई अपनी 592वीं बैठक (मद संख्या 2.17) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

4. **अतः, अब,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड

पुस्तक

इनोवेशन (एचएआरआई), कान्हा शांति वनम, चेगुर, नंदीगामा मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत एक समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

i. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का पालन करेगा।

ii. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।

iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या उसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्ति या निधियां/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

iv. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा या लिप्त नहीं होगा जो व्यावसायिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।

v. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

vi. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।

vii. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना, समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

प्रति

ix. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना, यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अपना एमओए यूजीसी को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यक होगा, यह प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।

x. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना, यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

xi. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना, इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xii. हर्टफुलनेस एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (एचएआरआई), तेलंगाना को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दें और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाया होगा।

पू.कि.ब.नर्जी

(पूर्णदु किशोर बन्नर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
Tel: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रति अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।
2. निदेशक, सहज मार्ग स्प्रिचुएलिटी फाउंडेशन, चेन्नई।
3. सचिव, तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, तेलंगाना सरकार।
4. सचिव, वास्तुकला परिषद, इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 6ए, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
5. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001।
6. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।

7. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।
9. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
10. गार्ड फाइल/ अधिसूचना फाइल।



(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: +91 11 2338 1578